न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
053/2021 **(GCMS 2021/53)**	**20.04.2021**	**24.05.2021**

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

अजय प्रसाद मून्दडा पुत्र शिव नारायण मून्दडा एफ.बी.ओ./मालिक मैसर्स श्री रतन इण्डस्ट्रीज बस स्टैण्ड के पास, सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ राज.।
स्थायी निवासी ग्राम पोस्ट सिंहपुर, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ पिनकोड–312207

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ0 मदनलाल गूजर ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ0 मदनलाल गूजर दिनांक को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहे थे, इनका गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग 2 (क) के क्रमांक 53 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475/10.08.2011 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक आवंटित किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 821/21.10.2020 के अनुसार दीपावली अभियान के तहत इनका पद स्थापना दिनांक 26.10.2020 से 14.11.2020 तक इनका कार्यक्षेत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:38 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला चित्तौड़गढ़ किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.10.2020 को समय 04.02 पी.एम. पर मैसर्स श्री रतन इण्डस्ट्रीज, बस स्टेण्ड के पास सिंहपुर, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0) पर जिला क्लेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा गठित सयुंक्त जाँच दल के साथ पहुंचें। वहाँ पर अजय प्रसाद मूंदडा पुत्र शिवनारायण मिले को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर अजय प्रसाद मूंदडा पुत्र शिवनारायण ने स्वंय को मैसर्स श्री रतन इण्डस्ट्रीज बस स्टैण्ड के पास सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0) का मालिक/प्रोपरायटर होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया, जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अजय प्रसाद मूंदडा की उपस्थिति में मैसर्स श्री रतन इण्डस्ट्रीज बस स्टैण्ड के पास सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु, निर्माण ईकाई में गेहू का आटा श्री गोल्ड ब्राण्ड (**Fresh Chakki Ata Shree Gold Brand**) वास्ते आम जनता को विक्रय करने हेतु निर्माण किया जा रहा था तैयार शुदा आटा प्लास्टिक कट्टों 10-10 व 5-5 किग्रा के कब्जे में रखे हुये थे। श्री गोल्ड ब्राण्ड (**Fresh Chakki Atta Shree Gold Brand**) लगभग 18 नग 10 किलोग्राम निर्माण इकाई में कटे में रखे हुये, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खोलकर देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो अजय प्रसाद मूंदडा को फार्म नं. **VA Form** दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता अजय प्रसाद मूंदडा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ.को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह आटा गेहु श्री गोल्ड ब्राण्ड (**Fresh Chakki Atta Shree Cold Brand**) साफ प्रिन्टेड को वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय कर रहा हूँ। निर्माण ईकाई में 10 किग्रा के 10 प्लास्टिक कटों सील पैक में से एक 10 किग्रा के कट्टे का चयन कर सील्ड पैक कट्टे को खोलकर आटा गेहु श्री गोल्ड बाण्ड (**Fresh Chakki Atta Shree Gold Brand**) रखे हुये में से 4 किया गेंहु आटा गेहु श्री गोल्ड बाण्ड (**Fresh Chakki Atta Shree Gold Brand**) साफ व सूखी पोलीथीन में इलेक्ट्रोनिक मापक मशीन से तुलवाकर वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता अजय प्रसाद मूंदडा को उनके माँगे अनुसार बाजार भाव से रूपये 84/- अक्षरे चोरासी रूपये मात्र नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये गये तथा आवेदक ने मय हस्ताक्षर सील मोहर लगायी। नमुना क्रय रसीद न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आटा गेहु श्री गोल्ड ब्राण्ड (**Fresh Chakki Atta Shree Gold Brand**) के लेबल की 6 छायाप्रतियॉ वास्ते रिकार्ड हेतु करवायी गयी जिसमें से चार छाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतियाँ अलग– अलग चारों नमूना भागों के साथ रखने हेतु नियमानुसार तैयार की गयी आटा गेहु श्री गोल्ड ब्राण्ड के लेबल की छायाप्रति की एक प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा 4 किग्रा में गेंहु आटा श्री गोल्ड ब्राण्ड (**Fresh Chakki Atta Shree Gold Brand**) को अजय प्रसाद मूंदडा एवं गवाहान को दिखाकर 1–1 किलोग्राम अलग–अलग इलेक्ट्रोनिक मापक मशीन से तुलवाकर साफ व सूखे चार कॉच के जारो में भरा एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान के लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक **AM-1233** एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मोहर किये एवं विक्रेता अजय प्रसाद मूंदडा तथा गवाहन के नियमानुसर हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल को गोद से चिपकाया व आटा गेहु श्री गोल्ड ब्राण्ड (**Fresh Chakki Atta Shree Gold Brand**) के लेबल की चार छायाप्रतियॉ करवाकर प्रत्येक छायाप्रगति पर विक्रेता श्री अजय प्रसाद मूंदडा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं मैने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा प्रत्येक लेबल को अलग–अलग चारों नमूना भागों के साथ रखकर प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीऔ. चित्तौडगढ की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नंबर **AM-1233** नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पड़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे अजय प्रसाद मूंदडा ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये मोके पर तैयार सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लिये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया, दो फार्म सं. 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को नमूना का एक तैयार शुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया व शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, वित्तौड़गढ़ को जमा करवाने हेतु तैयार किये एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा करवाया एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चित्तौड़गढ़ ने रोशनलाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 01.11.2020 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाने हेतु भेजा गया एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष 2 भाग चौथा भाग डी.ओं. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 01.11.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/4566 दिनांक 06.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/242/एक्ट/2020/251 दिनांक 02.11.2020 के अनुसार एफ.बी.ओं. अजय प्रसाद मूंदडा से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया आटा गेह श्री गोल्ड ब्राण्ड (**Fresh Chakki Atta Shree Gold Brand**) एफ. एस. असुरक्षित एस.ए.की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** का उल्लघंन करने के कारण मिथ्याछाप (**Mis-Branded**) तथा) एफ.एस.एस.ए.की धारा **3(1)(zz)(iii)(ix)(xi)** के उल्लघंन के कारण (**Un-Safe**) स्तर का होना पाया गया जिसकी जॉच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है, जिसकी सूचना अजय प्रसाद मून्दडा पुत्र शिव नारायण मून्दडा (एफ.बी.ओ.) फर्म/मैसर्स श्री रतन इण्डस्ट्रीज बस स्टैण्ड के पास सिंहपुर, तहसली कपासन जिला चित्तौड़गढ़ राज. को मय रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी थी, जिसकी रजिस्ट्री रसीद न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। अजय प्रसाद मून्दडा पुत्र शिव नारायण मून्दडा (एफ.बी.ओ.) मैसर्स श्री रतन इण्डस्ट्रीज बस स्टैण्ड के पास सिंहपुर तहसी कपासन जिला चित्तौड़गढ़ राज. ने समयावधि में धारा 46 (4) के अन्तर्गत नमूना पुनः जॉच करवाने हेतु अपील आवेदन किया, अपील पर नियमानुसार विचार कर नमूना पुनः जांच करवाने हेतु निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर भिजवाया गया, अपील आवेदन व भिजवाये गये डी.डी. व मेमोरेन्डम की प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर की जांच रिपोर्ट क्रमांक एफटी/एक्यूसीएल/एफ.एस.एस.ए/50 एफ/2021 दिनांक 02.02.2021 के अनुसार उक्त नमूना एफ.एस.एस.ए की धारा **3(1)(zf)** के उल्लघन के कारण मिथ्याछाप (**Mis-Branded**) पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य है। जिसकी सूचना अजय प्रसाद मून्दडा पुत्र शिव नारायण मून्दडा (एफ.बी.ओ.) फर्म/मैसर्स श्री रतन इण्डस्ट्रीज बस स्टैण्ड के पास सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ राज. को मय रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी थी, जिसकी रजिस्ट्री रसीद न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। सम्पूर्ण दस्तावेजों का संग्रहण पश्चात पत्रावली में अभियोजन स्वीकृति चाहने बाबत पत्र कमांक एफ. एस.एस.ए/2021/139 दिनांक 12.04.2021 के माध्यम से अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ के समक्ष दिनांक 15.04.2021 को प्रकरण से संबंधित पत्रावली प्रस्तुत की ने

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 की धारा 36 की उप धारा 3(ङ) के तहत पत्रावली अध्ययन व अवलोकन कर सहमत होकर पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए/2021/1591 दिनांक 15.04.2021 द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण में अंकित दोषी व्यक्ति के विरुद्ध न्याय निर्णयन आवेदन न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन स्वीकृति जारी कर प्राधिकृत किया है। उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्तों ने आटा गेहु श्री गोल्ड ब्राण्ड (**Fresh Chakki Atta Shree Gold Brand**) को मिथ्याछाप (**Mis-Branded**) स्तर का बनाकर विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 मदनलाल गूजर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक, गवाह संख्या 2 शांतीलाल पिता शंकरलाल माली निवासी मालियों का मौहल्ला सिंहपुर 3 शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ पेश किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

1. अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी अभियोजन स्वीकृति।
2. अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रेषित पत्र।
3. गजट नोटिफिकेशन।
4. पदस्थापन आदेश।
5. कार्यक्षेत्र आवंटन आदेश।
6. दीपावली त्यौहार के अवसर पर शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत जिला चित्तौड़गढ़ के कार्यक्षेत्र आवंटन आदेश।
7. दीपावली त्यौहार के अवसर पर शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत जिला चित्तौड़गढ़ हेतु गठित दल के कार्यक्षेत्र आवंटन आदेश।
8. जिला टोंक से जिला चित्तौड़गढ़ हेतु कार्यमुक्त आदेश।
9. अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत किये गये आदेश।
10. नमूना क्रय रसीद मूल।
11. फार्म न0 5 ए मूल।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12. फर्द रिपोर्ट मूल।
13. मैसर्स श्री रतन इण्डस्ट्रीज सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ के खाद्य अनुज्ञापत्र की छायाप्रति।
14. खाद्य पदार्थ गेंहूॅ आटा श्री गोल्ड ब्राण्ड के लेबल की छायाप्रति।
15. फार्म नंबर 6 की मूल प्रति।
16. खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर में नमुना जमा की प्राप्ति रसीद।
17. अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के द्वितीय तृतीय व चौथा भाग की प्राप्ति रसीद।
18. खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की खाद्य नमूना जांच रिपोर्ट नमूना संख्या **AM-1233** मूल प्रति।
19. अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी व संबंधित खाद्य कारोबारकर्त्ताओं को जांच रिपोर्ट की प्रति व धारा 46 के तहत पुनः अपील बाबत् अग्रेषण पत्र।
20. अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा रेफरल खाद्य प्रयोगशाला में जांच कराने बाबत् प्रेषित सूचना पत्र।
21. फार्म नंबर 8
22. निदेशक रेफरल खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को प्रेषित मेमोरेण्डम।
23. निदेशक रेफरल खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को प्रेषित डिमाण्ड ड्राफ्ट की छायाप्रति।
24. अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा रेफरल खाद्य प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट की सूचना।
25. निदेशक रेफरल खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की जांच रिपोर्ट।

उक्त समस्त दस्तावेज शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 24.05.2021 को अप्रार्थी स्वयं हाजिर आया एवं जवाब परिवाद पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कार्यवाही की गई है उसमें खाद्य पदार्थ जो जांच में मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी के पूर्व में किसी भी जांच में खाद्य पदार्थ पूर्ण गुणवत्तापूर्ण पाये गये। यह प्रथम जांच है जिसमें अप्रार्थी का खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी का खाद्य पदार्थ पूर्ण गुणवत्तापूर्ण पाया गया एवं केवल लेबलिंग की मामूली त्रुटि है, जिस संबंध में प्रार्थी द्वारा सुधार किया जा चुका है। अप्रार्थी की आजीविका को एकमात्र साधन उक्त व्यवसाय ही है एवं अप्रार्थी छोटा व्यापारी है इसके साथ ही अप्रार्थी का प्रथम दोष है अतः अप्रार्थीया को माफ कराया जावें। अप्रार्थी न्यायालय के समक्ष अपनी वचनबद्धता देता है कि अप्रार्थी भविष्य में नियमानुसार एवं विधि अनुसार कार्यवाही कर अपना व्यववाय करेगा। अतः जवाब कार्यवाही प्रस्तुत कर निवेदन है कि लोक अदालत की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भावना से अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावें। जवाब परिवाद स्वीकार शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं। हाजिर अप्रार्थी ने प्रकरण को निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की इस पर हाजिर अप्रार्थी को सुना गया। हमने पत्रावली को बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना किये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 10 से 12 तक से होती हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 11 एवं 10 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ आटा गेहु श्री गोल्ड ब्राण्ड (**Fresh Chakki Atta Shree Gold Brand**) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 10 से होती हैं, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर हैं, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 12 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 31.10.2020 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 12 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 31.10.2020 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ आटा गेहु श्री गोल्ड ब्राण्ड (**Fresh Chakki Atta Shree Gold Brand**) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध हैं से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1233** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 53 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 15 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक रोशनलाल के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-1233** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 16 से होती हैं। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 10 का अवलोकन किया जिससे से जाहिर होता है कि पत्रवाहक रोशनलाल द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 01.11.2020 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 17 का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गयें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 19 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2020/4566 दिनांक 06.11.2020 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 242/ACT/2020/251 Dated 02-11-2020** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई हैं, उक्त पत्र रिकार्ड पर हैं। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 149/ACT/2020/158 Dated 27-07-2020** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

Report LS 242/ACT/2020/251 Dated 02-11-2020

Certified that I RAVI SETHI duly appointed as under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Dr. Madan Lal Gujar Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Fresh Chakki Atta (Shree Gold) bearing code no. and serial no. AM- 1233 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh on 01.11.2020 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 53 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.

I found the sample to be cereals and cereal products falling under Regulation No. 2.4.1 Atta of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 01.11.2020 to 02.11.2020 and the result of its analysis is given below-

ANALYSIS REPORT---
(i) Sample description:- The sample packed in wide mouth plastic pet jar. Taken from 10 kg plastic bag of Mfg. Unit.
(ii) Physical appearance:- Creamish in colour, free flow, Insect infestation visible to naked eye.
(iii) Label :-- Loose sample of Fresh Chakki Atta, Brand- Shree Gold, Name of food- Atta, Batch no.- Oct, Mfd. on.- 22.10.2020, Nutritional value - Given, Mfg. by- Shree Ratan Ind., Singhpur-Chittorgarh (Raj.)(In complected Address), Best before- Absent, Veg, green Symbol- Not given, Contravention to regulation no. 2.2.2(6):(10)&(4) (ii) Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011., Fssai Lic. No.- Absent on the label Contravention to Regulation 26(2)(ii)(v) & 31(i) of Food Safety & Standards Act 2006.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Opinion:- The sample of Fresh Chakki Atta (Shree Gold) Bearing codo no, and serial no. AM-1233 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is misbranded food. The sample is misbranded food under section 3(1)(z1(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.
-The sampie is unsafe food under section 3(1)(zz)(iii)(ix)(xi) of the Food Safety and Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदनलाल गूजर द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 53 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 01.11.2020 से 02.11.2020 तक को जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **cereals and cereal products falling under Regulation No. 2.4.1 Atta of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011.,** एवं **Mfg. by-Shree Ratan Ind., Singhpur-Chittorgarh (Raj.)(In complected Address), Best before- Absent, Veg, green Symbol- Not given, Contravention to regulation no. 2.2.2(6):(10)&(4) (ii) Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011., Fssai Lic. No.- Absent on the label Contravention to Regulation 26(2)(ii)(v) & 31(i) of Food Safety & Standards Act 2006.** उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1233** आटा गेहु श्री गोल्ड ब्राण्ड (**Fresh Chakki Atta Shree Gold Brand**) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(z1(C)(i) के तहत मिसब्राण्ड एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zz)(iii)(ix)(xi) अन–सेफ स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट विपक्षी को पत्रांक/एफएसएसए/2020/4566 दिनांक 06.11.2020 से अप्रार्थी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। इस पर अप्रार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप में दस्तावेज क्रमांक 21 फार्म संख्या 8 से नमूना को रेफरल प्रयोगशाला में जांच हेतु अपील प्रस्तुत की गई। उक्त दस्तावेज शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। इस पर अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक 5364 दिनांक 28.12.2020 से नमूना रेफरल प्रयोगशाला, मैसूर को वास्ते जॉच हेतु प्रेषित किया गया। इस पर निदेशक रेफरल प्रयोगशाला, मैसूर द्वारा नमूना जांच रिपोर्ट प्रमाण पत्र संख्या **50F/FSSA/2021** दिनांक 02.02.2021 जारी किया गया।

हमने निदेशक रेफरल प्रयोगशाला, मैसूर के प्रमाण पत्र संख्या **50F/FSSA/2021** दिनांक 02.02.2021 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। निदेशक रेफरल प्रयोगशाला, मैसूर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Certificate No. 50F/FSSA/2021 Dated 02-02-2021

Cerified that the sample, bearing number AM-1233 purporting to be a sample of WHEAT ATTA was received on 11.01.2021 with memorandum No. FSSA/2020/5364 dated 29.12.2020 from THE DESIGNATED OFFICER (FOOD SAFETY), Olo THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER, SWASTHYA BHAWAN, OLD MAHILA & BAL HOSPITAL, OPPOSITE SBI BANK, CHITTORGARH, RAJASTHAN - 312 001 for analysis.
The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: Intact and unbroken.
I Dr. Alok Kumar Srivastava found the sample to be Atta falling under Regulation No.2.4.1.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed during 12.01.2021 to 02.02.2021 and the result of its analysis is given below:

Analysis Report:
(i) Sample Description: Packed in a wide mouth poly bottle with Label declaration.
(ii) Physical Appearance: Buff colour powder. Free from live and dead insects.
(iii) Label (Attested copy provided separately): "Shree Gold Fresh Chakki Atta"; Mfd by: Shree Ratan Ind, Singhpur – Chittorgarh (Raj); Batch No.: OCT; Mfd date: 22/10/2020; Best before: Not given; Nutrition Information : Given ; Veg Symbol : Not Given ; Net wt.: 10kg; FSSAI License No.: Not given ; Claims : "Source of Fiber", "Source of Iron" "Natural Nutrients"

Opinion; And I am of the opinion that the sample is "Misbranded" as defined under Section 3(1) (zf) of Food Safety and Standards Act, 2006 as it does not conform io the standards iaid down for ATTA under the provisions of Food Safety and Standards (Packaging and Labeling) Regulation 2011 thereof, in that a) FSSAI License No., Veg Symbol and Best Before are not given on the label details provided separately, hence contradicts Section 2.2.1.7, 2.2.2.4 and 2.2.2.10 of the FSS (Packaging and Labeling) Regulation 2011

निदेशक रेफरल प्रयोगशाला, मैसूर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदनलाल गूजर द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 53 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 12.01.2021 से 02.02.2021 तक को जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में निदेशक रेफरल प्रयोगशाला, मैसूर द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **Atta falling under Regulation No.2.4.1.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011., एवं "Misbranded" as defined under Section 3(1) (zf) of Food Safety and Standards Act, 2006 as it does not conform io the standards iaid down for ATTA under the provisions of Food Safety and Standards (Packaging and Labeling) Regulation 2011 thereof, in that a) FSSAI License No., Veg Symbol and Best Before are not given on the label details provided separately, hence contradicts Section 2.2.1.7, 2.2.2.4 and 2.2.2.10 of the FSS (Packaging and Labeling) Regulation 2011.** उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1233** आटा गेहु श्री गोल्ड ब्राण्ड (**Fresh Chakki Atta Shree Gold Brand**) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zf)** के तहत मिसब्राण्ड स्तर का पाया गया है। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2021/1591 दिनांक 15.04.2021 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(**e**) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया हैं जो कि दस्तावेज क्रमांक 1 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। अप्रार्थी द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को स्वीकार किया हैं एवं यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता हैं कि उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का अवलोकन किया अधिनियम की धारा 25 से 27 में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :-

25. All imports of articles of food to be subject to this Act.

(1) No person shall import into India –

- (i) any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter;
- (ii) any article of food for the import of which a licence is required under any Act or rules or regulations, except in accordance with the conditions of the licence; and
- (iii) any article of food in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder or any other Act.

(2) The Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder.

26. Responsibilities of the Food business operator.

(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.

(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food –

- (i) which is unsafe; or
- (ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or

(iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or

(v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

(3) No food business operator shall employ any person who is suffering from infectious, contagious or loathsome disease.

(4) No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article to the vendor: Provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice.

(5) Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe, unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe: Provided that any conformity of a food with specific provisions applicable to that food shall be without prejudice to the competent authorities taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that, despite the conformity, the food is unsafe.

27. Liability of the manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers

(1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.

(2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is–

(a) Supplied after the date of its expiry; or

(b) Stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or

(c) Unsafe or misbranded; or

(d) Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or

(e) Stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or

(f) received by him with knowledge of being unsafe.

(2) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is –

(a) sold after the date of its expiry; or

(b) handled or kept in unhygienic conditions; or

(c) misbranded; or

(d) unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or

(e) received by him with knowledge of being unsafe.

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी अजय प्रसाद मून्दडा पुत्र शिव नारायण मून्दडा एफ.बी.ओ./मालिक मैसर्स श्री रतन इण्डस्ट्रीज बस स्टैण्ड के पास, सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ राज. स्थायी निवासी ग्राम पोस्ट सिंहपुर, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ पिनकोड–312207 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,

(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,

(c) The repetitive nature of the contravention,

(d) Whether the contravention is without his knowledge, and

(e) Any other relevant factor,

52. Penalty for misbranded food.

(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.

(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विपक्षी की दोष सिद्धि घोषित की गई है, जिससे अर्थदण्ड विपक्षी को किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त श्री अजय प्रसाद मून्दडा पुत्र शिव नारायण मून्दडा एफ.बी.ओ./मालिक मैसर्स श्री रतन इण्डस्ट्रीज बस स्टैण्ड के पास, सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ राज. स्थायी निवासी ग्राम पोस्ट सिंहपुर, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ पिनकोड–312207 को रूपये 10000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>24.05.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:38 IST
Reason: SelfAttested